

क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2018/2566
प्रति,

भोपाल, दिनांक 04.08.2018


श्री निखिल कुमार,
कंसल्टेंट एजुकेशन,
डी बी मॉल, चतुर्थ तल,
भोपाल, म0प्र0

विषय :-जिन संस्थाओं द्वारा आज दिनांक तक मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है उनके लिए विलम्ब शुल्क एवं अर्थ दण्ड के साथ पोर्टल खोलने बाबत

—00—

कृपया उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार आज दिनांक तक 1067 संस्थाओं द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है। इन संस्थाओं को एक अंतिम अवसर देते हुए मान्यता नवीनीकरण के लिए दिनांक 5 से 7 अगस्त 2018 को पोर्टल खोला जाए, चूंकि संस्थाएं पूर्व वर्षों से मान्यता प्राप्त हैं। जो संस्थाएं आवेदन करने की इच्छुक होंगी, वे संभागीय संयुक्त संचालक के समक्ष स्वतः दिनांक 8 से 10 अगस्त 2018 की अवधि में अपने मूल दस्तावेजों सहित उपस्थित होंगी। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा दस्तावेजों के आधार पर उनकी मान्यता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। जिन संस्थाओं के पास ऑफलाइन मान्यताएं हैं वे दिनांक 07 अगस्त 2018 तक संचालनालय में आवेदन देकर उन ऑफलाइन मान्यताओं की पुष्टि करा लें।

मान्यता समिति के निर्णय अनुसार यह संस्थाएं उक्त आवेदन मान्यता शुल्क एवं विलम्ब शुल्क राशि रूपये 20 हजार तथा विशेष अर्थदण्ड राशि रूपये 50,000/-प्रति वर्ष जमा करने पर ही आवेदन कर सकेंगी। इन सभी संस्थाओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर इस आशय की सूचना कर दी जाए।



(जयश्री कियावत)


आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 04.08.2018

पृ. क्रमांक/विद्या/पी/मान्यता/2018/2567
प्रतिलिपि :-

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0 की ओर प्रेषित कर लेख है कि संलग्न प्रपत्र में संस्थाओं के संचालन न होने संबंधी जानकारी प्रविष्ट करें।
3. समस्त प्राचार्य, अशासकीय संस्थाओं की ओर पोर्टल के माध्यम से सूचनाार्थ।


आयुक्त